



राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 12/वीकानेर-1984-95

यह प्रमाणित किया जाता है कि उरूम सेतु
सिंहवान जिला वीकानेर का
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान
अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया
गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक 2 माह जून सन् एक हजार नौ सौ 94 को
वीकानेर में दिया गया।

MAV
2.6.94
रजिस्ट्रार संस्थाएं
लोक सेवा